9/8/24 पत्रावली पेश हुई। व बुलाये उप०।

बहस अधुलाम सुनी जाकर उभय पक्ष को पाबन्द किया जाता है कि अन्य न्यायालय के आदेश से अप्रभावित रहते हुए शामलात भूमि विवादित के खसरा संख्या 269, 306, व 307 की शामलात हिस्से की यथास्थिति कायम रखी जावें। पत्रावली फैसला हेतु पेश होकर नम्बर से बाद हो सब कुछ वाद के ताकि जानी हो।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)